कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद बिजनौर

पत्रांक: प–3 / सी.एफ.ओ. (शैक्षिक भवन) / 2017 दिनांक: फरवरी, 08, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक
लक्ष्य कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी
ग्राम–बगवाडा तहसील धामपुर
जनपद बिजनौर।

विषय: लक्ष्य कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी ग्राम–बगवाडा तहसील धामपुर जनपद बिजनौर को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उक्त विषयक / संदर्भित पत्र के कम में वर्णित शैक्षिक भवन लक्ष्य कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी ग्राम–बगवाडा तहसील धामपुर जनपद बिजनौर को नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, के सम्बन्ध में प्रभारी अग्निशमन केन्द्र धामपुर द्वारा अग्नि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से स्थलीय निरीक्षण कराया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र धामपुर की आख्या के अनुसार उक्त कालेज भवन को मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर के कार्यालय पत्रांकः स–233–2013 / सी,एफ,ओ, / बी,जे,आर,–74 / धामपुर / 25 दिनांक 29–12–2013 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है तथा पत्रावली का परीशीलन करने पर विवरण निम्नवत है–

1– प्रश्नगत कालेज भवन भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित है जिसको शैक्षिक कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है।
2– प्रश्नगत कालेज भवन में फायर एक्सटिंग्यशर आई0एस0 21:90 के अनुसार स्थापित हैं जो वर्तमान में कार्यशील दशा में उपलब्ध हैं।
3– प्रश्नगत कालेज भवन में फायर बकेट्स उपलब्ध हैं।
4– कालेज में उपस्थित स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी दे दी गयी है।
5– प्रबन्धक द्वारा अग्निशमन उपकरणों की टैस्टिंग फीस चालान द्वारा स्टेट बैंक में जमा करा दी गयी है।
6– निकास द्वार पर सांकेतन चिन्ह अंकित है।
7– फायर सर्विस के टेलीफोन नम्बरों की पट्टीका स्थापित करा दी गयी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित रिट याचिका संख्या–483 / 2004 अवनीष महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13–4–2009 का पालन अनिवार्य होगा जिसमें **निर्देशित किया गया है कि** –

1– किसी भी कालेज को मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि कालेज का भवन नैशनल बिल्डिंग कोड–2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानको के अनुरूप है।
2– कालेज भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थो का भण्डारण कदापि नहीं किया जायेगा।
3– कालेज में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था का प्रतिवर्ष अनुरक्षण / परीक्षण काराकर अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें ।

C.F.O.

4– कालेज में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा पायी गयी त्रुटि का निराकरण अविलम्ब कराना सुनिश्चित करेगें ।

5– कालेज में किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें ।

6– समय–समय पर कालेज के भवन की सुदृढ़ता की समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

7– कालेज में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये ।

इस कार्यालय के ऊपर वर्णित पत्रों द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं एवं समस्त अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का दायित्व प्रबन्धक का होगा। इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों के मैन्टीनेंस हेतु एक मैन्टीनेंस रजिस्टर कालेज में बनाकर रखा जायेगा जिसमें दैनिक साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक अर्द्ध वार्षिक कार्यकलापों का विवरण अंकित किया जायेगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्वति का अनुरक्षण व सावधि अग्निशमन लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार करानी अनिवार्य होगी।

अतः प्रभारी अग्निशमन केन्द्र धामपुर जनपद बिजनौर की संस्तुति एवं उपरोक्त शर्तो के अधीन अग्निशमन व्यवस्था हर समय बनाये रखने की शर्त पर लक्ष्य कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी ग्राम–बगवाडा तहसील धामपुर जनपद बिजनौर को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बिजनौर

(संतोष कुमार राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद बिजनौर।

प्रतिलिपिः–

1– एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– प्रभारी अग्निशनम केन्द्र, धामपुर जनपद बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बिजनौर

(संतोष कुमार राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद बिजनौर।